resilience. While choice of schemes, keeping these objectives in view, is left to the State Governments concerned, an outlay of Rs. 640 crore (at 1991-92 prices) is anvisaged during the Eighth Five year Plan period.

Reward for Customs Officers

6407. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the ceiling of rupees 10.00 lakhs on reward of customs officers and State agencies is affecting the anti-smuggling measures;

(b) whether the officers who have received reward of rupees 10.00 lakhs will stop doing anti-smuggling work;

(c) what will be the amount of incentive to be paid to these officers;

(d) whether the incentive of reward is stopped to them; and

(e) whether the limit of 10.00 lakhs rupees reward will be removed as it is affecting anti-smuggling work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) At present there are no indications of any adverse effects due to ceiling of reward of Rs. 10 lakh to custom officers entrusted with the job of anti-smuggling.

Officers doing anti-smuggling work do not cease doing their work on achieving the reward of Rs. 10 lakh. According to available information there are a number of officers who are giving very good results even after they have reached the limit of Rs. 10 lakh as reward.

(c) and (d) it is true that further rewards are not admissible to such officers. However such officers are eligible to other incentives like President's Appreciation Certificate for excellent performance.

(e) Reward Policy is under challenge before Hon'ble Supreme Court. Changes in Reward Policy shall be considered as and when a need for the same arises.

स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों के नाम शेयर

6408. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985 में ये अनुदेश जारी किए थे कि स्टाक एक्सचेंज सचिवालय के वित्तीय लेखा विभाग के निदेशकों, लेखापरीक्षकों, विधि-सलाहकारों तथा उनके पतियों/पत्नियों तथा बच्चों के नाम शेयरों की संख्या के ब्यौरे तथा शेयर धारण प्रणाली में उनमें से प्रत्येक के द्वारा किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा भेजा जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अनुदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंक

6409. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान उक्त बैंकों की और शाखायें खोले जाने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो उनकी जिला-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जून 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 5289 शाखायें कार्य कर रही थीं। इन बैंकों की शाखाओं की जिले-वार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया